भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2852
17/12/2025 को उत्तर देने के लिए

भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों हेतु योजना

†2852. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भारत लौटने और भारत में अनुसंधान एवं नवाचार में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पहल के अंतर्गत चिन्हित किए गए या संपर्क किए गए ऐसे शोधकर्ताओं की देश-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इनकी देश वापसी और पुनः भारतीय अनुसंधान संस्थानों में कार्य करना सुगम बनाने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन, अनुसंधान अनुदान या संस्थागत सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई बजटीय आवंटन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पहल सरकार के देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और प्रतिभा पलायन को कम करने के व्यापक उद्देश्य के किस प्रकार अनुरूप है?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भारत लौटने और भारत में अनुसंधान एवं नवाचार में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएँ बनाई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) विशेष रूप से भारतीय प्रवासी [गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई)/विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (ओसीआई)] के लिए भारतीय संस्थानों में सहयोगात्मक शोध हेतु वैभव (वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक) अध्येतावृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) रामालिंगास्वामी पुन: प्रवेश अध्येतावृत्ति (आरआरएफ) और अर्ली करियर एवं इंटरमीडिएट फेलोशिप्स (ईसीआईएफ) के माध्यम से विदेश में रहने वाले अत्यधिक योग्य भारतीय शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक अवसर और संभावनाएं प्रदान करता है, ताकि वे अपने संबंधित रुचि और क्षेत्र के भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्य कर सकें। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की रामानुजन अध्येतावृत्ति एक अन्य योजना है जो उन प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए है, जो प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान और विकास

(आरएंडडी) हेतु विदेश से भारत लौटने का लक्ष्य रखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने 50 वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के पदों का सृजन किया है जिन्हें विदेश में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों (एसटीआईओ) से भरा जाएगा । इस पद को उत्कृष्ट वैज्ञानिक (एसटीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

(ख) वैभव अध्येतावृत्ति प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई), विश्वविद्यालयों और/अथवा सार्वजनिक वित्तपोषित वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। वैभव अध्येता एक भारतीय संस्थान को सहकार्यता के लिए चिन्हित करेगा और वह अधिकतम 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष अधिकतम दो महीने व्यतीत कर सकता है। 2023 से अब तक, 3 आह्वानों की घोषणा की गई है और 11 देशों, जैसे अमेरिका (18), यूके (5), ऑस्ट्रेलिया (3), कनाडा (2) तथा स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, जापान और सिंगापुर से एक-एक अध्येता के रूप में कुल 35 अध्येताओं को यह सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में डीबीटी आरआरएफ योजना 166 सक्रिय अध्येता, जो 27 देशों, जैसे ऑस्ट्रेलिया (2), बेल्जियम (4), कनाडा (3), चिली (1), चीन (1), कोलंबिया (1), चेक गणराज्य (1), फ्रांस (2), जर्मनी (10), आयरलैंड (1), इज़राइल (12), इटली (2), जापान (4), नीदरलैंड्स (1), फिलिपींस (1), कतर (1), रूस (1), स्कॉटलैंड (1), सिंगापुर (4), स्लोवेनिया (1), दक्षिण कोरिया (2), स्पेन (4), स्वीडन (8), स्विट्ज़रलैंड (5), ताइवान (2), यूके (11) और अमेरिका (80) में कार्यरत थे, को सहायता दे रही है।

(ग) से (घ): वैभव जैसी योजनाएं वैभव अध्येता को आकर्षक अध्येतावृत्ति (₹4 लाख प्रति माह, 1-2 महीने/वर्ष, 3 वर्षों के लिए), यात्रा सहायता, आवास सहायता (प्रतिदिन ₹7500 तक), उपभोग्य वस्तुएं और सहायक उपकरण, आकस्मिक खर्च, और संस्थागत सामान्य खर्च (₹5 लाख प्रति वर्ष) प्रदान करती हैं। डीबीटी आरआरएफ कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष विदेश से आए हुए 75 उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता करने की व्यवस्था है। चयनित अध्येता तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति माह ₹1.35 लाख की अध्येतावृत्ति, प्रति वर्ष ₹13,00,000 की अनुसंधान और आकस्मिक सहायता, और संस्थागत सामान्य खर्च के रूप में प्रति वर्ष ₹50,000 के हकदार हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत आवश्यक और पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

(ङ) सभी योजनाओं को इस उद्देश्य से लागू किया जा रहा है कि विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे प्रशिक्षित जनशक्ति की वापसी संभव हो, अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान उत्पादन बढ़े, और देश में वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिले, जो सरकार के राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। ये योजनाएँ विदेश में कार्यरत वैज्ञानिकों को भारत में अपने करियर को पुनः स्थापित करने के लिए एक पूर्वनिर्धारित मार्ग उपलब्ध कराते हुए प्रतिभा पलायन को कम करने में भी सहायता करती हैं, जिससे आत्मनिर्भर और नवाचार-प्रेरित शोध परिदृश्य को बढ़ावा मिलता है। इसमें शामिल शोध के क्षेत्र सभी विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप हैं।

*****